राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–2) विभाग

क्रमांक : प.3(31)का./ख–2/87 जयपुर, दिनांक : 10/12/13

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.09.1987, 20.03.1989, 10.04.90, 06.04.92, 22.06.92, 09.12.92, 30.09.93, 23.05.97, 22.10.97, 01.09.2007, 01.03.2011 एवं 12.08.2013 के द्वारा शासन सचिवालय में कार्यरत समस्त जमादार/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (महिला/पुरूष) को प्रतिवर्ष पूर्ण एवं स्वच्छ वर्दी में उपस्थित होने हेतु समय–समय पर निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी प्रायः यह देखने में आया है कि सहायक कर्मचारीगण पूर्ण वर्दी/वर्दी पहनकर नहीं आते हैं।

सभी जमादार/च0श्रे0क0 को निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार वर्दी उपलब्ध करायी जाती है और इन सभी कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्य पर निर्धारित वर्दी में उपस्थित हो। वर्दी उपलब्ध कराने के बावजूद प्रायः यह देखा गया है कि उक्त कर्मचारीगण अपने कार्य पर वर्दी में उपस्थित नहीं होते हैं, जिससे राज्य सरकार द्वारा वर्दी उपलब्ध कराने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार समय–समय पर पूर्व में भी परिपत्र जारी किये गये हैं। सचिवालय की नियमावली के नियम–28 में भी प्रावधान किया गया है कि जमादार/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (महिला/पुरूष) सदैव वर्दी पहनकर कार्यालय में उपस्थित होवे तथा यह भी प्रावधान किया गया है कि वर्दी पहनकर आने के संबंध में प्रदान किये गये निर्देशों का लगातार उलंघन करने पर वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमों के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिये।

अतः समस्त ग्रुप अधिकारियों/निजी सचिवों एवं निजी सहायको से अपेक्षा की जाती है कि उनके अधीन पदस्थापित जमादार/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (महिला/पुरूष) सदैव वर्दी में ही कार्यालय में उपस्थित होवे यदि वे वर्दी पहनकर कार्यालय में उपस्थित नहीं होते है तो शासन सचिवालय की नियमावली के नियमों के नियम–28 में प्रदत्त प्रावधान के अनुसार कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव इस विभाग को तत्काल भिजवाये।

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री/विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, समसत प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिवगण।
5. निजी सहायक, समस्त शासन उप सचिव।
6. सहायक शासन सचिवगण/अनुभागाधिकारीगण।
7. पंजीयक, शासन सचिवालय।
8. वित्तीय सलाहाकार, शासन सचिवालय।
9. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
10. कार्मिक (ख–3) विभाग (फर्नीचर स्टोर) को उनके अ0शा0टीप0 संख्या प0 6(33)कार्मिक/ख–3/2007 के क्रम में।
11. अध्यक्ष, राजस्थान सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ एवं सचिवालय तकनीकी कर्मचारी संघ को प्रेषित कर लेख है कि वे सभी जमादार/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (महिला/पुरूष) को कार्य पर निर्धारित वर्दी में उपस्थित होने के लिये अनुरोध कर व्यवस्था में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
12. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव